न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2173–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–07–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 31/2014–15/अपील.

.....

श्रीमती अजय कुअंर पत्नी श्री नवलसिंह
निवासी गुडी गुडा का नाका चिरवाई परगना व
जिला ग्वालियर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे,
निवासी बी 1/17 अशोक बिहार,
तानसेन नगर, ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदिका

2–इन्द्रा पुत्री स्व0श्री नवल सिंह
3–श्रीमती कमलाबाई पुत्री स्व0श्री नवलसिंह
4–मलखानसिंह पुत्र स्व0श्री नवलसिंह
निवासीगण गुडी गुडा का नाका चिरवाई परगना व
जिला ग्वालियर म0प्र0

.....फॉर्मल अनावेदकगण

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदिका
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अनावेदिका कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 21/7/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वृत्त लश्कर जिला ग्वालियर के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 20/11–12/अ–3 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 के विरूद्ध प्रथम अपील 27–3–2012 को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 31/2014–15 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 2–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लेखित पैरा 3 अपूर्ण है, और अनावेदिका कमांक 1 की ओर से आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना चाहिये । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण उपस्थित हुये है और उनके हस्ताक्षर भी है,अतः समय सीमा की गणना आदेश की जानकारी के दिनांक से नहीं होकर आदेश पारित होने के दिनांक से की जायेगी, इस वैधानिक बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र का एक साथ निराकरण करने में अनियमितता की गई है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को दोनों आवेदनों का पृथक–पृथक निराकरण करना चाहिये था । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा एक तरफ दिनांक 22–3–15 को नकल प्राप्त करने का उल्लेख किया जा रहा है और दूसरी ओर नकल प्राप्त नहीं होने संबंधी तर्क प्रस्तुत कर रहा है, जो कि आपस में

विरोधाभासी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका कमांक 1 उपस्थित नहीं हुई है और तहसील न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र वाहन चालक पर सर्व हुआ है, जो कि विधिवत् तामीली नहीं मानी जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 को सूचना पत्र किस दिनांक को जारी हुआ है, इसका कोई उल्लेख सूचना पत्र में नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि सूचना पत्र अनावेदक कमांक 1 को किस दिनांक को प्राप्त हुआ है । इस आधार पर कहा गया क वास्तव में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिकाओं में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अनावेदिका कमांक 1 को सूचना पत्र तामील हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि उपरोक्त वैधानिक एवंत तथ्यात्मक स्थिति पर विचार कर ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका का उद्देश्य मात्र तहसील न्यायालय में प्रकरण लंबित रखना है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदिका कमांक 1

प्रश्नाधीन भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी होकर हितबद्ध पक्षकार है, इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को न तो व्यक्तिशः सूचना दी गई है और न ही उस पर सूचना पत्र की विधिवत् तामीली कराई गई है, अतः अनावेदिका कमांक 1 का यह कथन विश्वसनीय है कि उसको तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । वैसे भी सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किये जाने की कार्यवाही उचित प्रतीत होती है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर